न्यायालय, वाद क्र. 25 — प्रा.-दायरा 30/5/25

नारायण बनाम राज. सर.

वकील श्री .... कैलाश चंद्र बैरवा .... ने पेश किया।

1. वाद अन्दर मियाद पेश किया है।
2. न्यायालय के श्रवणाधिकार का है।
3. नियमानुसार उचित कोर्ट फीस पर पेश किया है।
4. प्रतिवादीगण का पूर्ण पता अंकित है।
5. वाद पत्र की प्रतियां वाद के साथ संलग्न है।
6. वादी का शपथ पत्र संलग्न है।
7. तलवाना उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत किया है तथा नोटिस के साथ वाद पत्र की प्रतियां संलग्न है।
8. पर्याप्त वाद हैतुक दर्शाया गया है।
9. वाद पत्र के साथ नवीनतम आवश्यक राजस्व रेकार्ड संलग्न है।

हस्ताक्षर रीडर

रिपोर्ट सरिस्ता देखी गयी। वादी वकील उपस्थित है। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 30/5/25 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
मनोहरथाना (झालावाड़)

30/5/25 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार से रिपोर्ट अभाव ... लिखा जाकर पत्रावली जाँच रिपोर्ट हेतु ... बाबत साक्ष्य दि. 5/6/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज.)

5/6/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. है। पूर्व निर्देशानुसार पत्रावली दिनांक 24/6/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

24/6/25 पत्रावली पेश हु.। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य ... /अवकाश में पधारने से पत्रावली ... दिनांक 14/7/25 को पेश हो।

आज्ञा से
रीडर
उपखण्ड कलेक्टर मनोहरथाना

14/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली पूर्वानुसार 13/8/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

13/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पूर्व आदेश की पालना नहीं हुई है। अतः पूर्व आदेश की पालना होकर पत्रावली दिनांक 28/8/2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

28/8/25 पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 25/9/25 को पेश हो।

आज्ञा से
रीडर
सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

25/9/25 पत्रावली पेश। अभिभाषक वादी उप०। अप्रार्थी की तरफ से पैरोकार सरकार उप०। जवाब पेश किया जिसकी नकल अभिभाषक वादी को दिलाई गई। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 07.10.25 को पेश हो।

No objection
पैरोकार

7.10.25 पत्रावली पेश। अभिभाषक वादी एवं सरकार पैरोकार उप०। वादी के कथन के समर्थन में पत्रा० के संलग्न साक्ष्य दस्तावेजों का गौर पूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रा० पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर संलग्न पत्रावली है। पत्रावली अमल दरआमद होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मनोहरथाना जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारीः– पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 25 / 25
दायर दिनाँक :– 30.05.2025
निर्णय दिनाँकः– 07.10.2025
उनवान :– नारायण

बनाम

सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1 श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार सरकार पैरोकार
2 श्री कैलाश चंद वैष्णव, अधिवक्ता प्रार्थी

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, प्रार्थी नारायण पुत्र अमरा जाति बेरवा निवासी ग्राम बंदा जागीर तहसील मनोहरथाना ने जरिए अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम बंदाजागीर की खाता संख्या नया 64 (पुराना 60) की खसरा संख्या 232 व 293 कुल किता 02 की 0.1619 हेक्टेयर तथा ग्राम कामखेड़ा की खाता संख्या नया 87 (पुराना 78) की खसरा संख्या 622 / 439 कुल किता 01 की 1.5378 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान के नाम शामिल खाते दर्ज रिकार्ड है।

वाद में उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी का नाम नाराण पिता अमरा जाति चमार दर्ज हो रहा है। जो लिपिकीय त्रुटि और गलत है। वास्तव में प्रार्थी का नाम ''नारायण'' पिता अमरा जाति बेरवा है, जैसा कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं बैंक पासबुक आदि सरकारी दस्तावेजों में प्रमाणित है।

आगे प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि प्रार्थी के नाम की इस त्रुटि के कारण प्रार्थी को सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है एवं उन्हें मानसिक कष्ट भी हो रहा है। प्रार्थी ने तहसीलदार मनोहरथाना को नाम संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, किन्तु कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई।

प्रकरण संख्या :— 25/25
उनवान :— नारायण बनाम सरकार
निर्णय दिनाँक :—07.10.2025

अतः प्रार्थी ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि ग्राम बंदा जागीर एवं कामखेडा के उक्त खसरा नंबरों में प्रार्थी का नाम ''नाराण पिता अमरा/अमरलाल जाति चमार'' के स्थान पर ''नारायण पिता अमरा जाति बेरवा'' संशोधित किया जाए और राजस्व अभिलेखों में इसका संशोधन प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए। साथ ही न्यायालय से प्रार्थी को आवश्यक व्यय, वाद के खर्च और अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान करने की भी प्रार्थना की गई है। प्रार्थी ने इस प्रार्थना—पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

इस वाद को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मनोहरथाना में प्रस्तुत किया गया था। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। मुताबिक जवाब अप्रार्थी, उक्त वाद में प्रार्थी का नाम '' नाराण पिता अमरा/अमरलाल जाति चमार से नारायण पिता अमरा जाति बेरवा '' किये जाने में कोई आपत्ति नही है। अतः प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गौरपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। बाद अवलोकन एवं मनन प्रार्थना—पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम बंदाजागीर की खाता संख्या नया 64 (पुराना 60) की खसरा संख्या 232 व 293 कुल किता 02 की 0.1619 हेक्टेयर तथा ग्राम कामखेड़ा की खाता संख्या नया 87 (पुराना 78) की खसरा संख्या 622/439 कुल किता 01 की 1.5378 हेक्टेयर आराजी में प्रार्थी का नाम '' **नाराण पिता अमरा/अमरलाल जाति चमार से नारायण पिता अमरा जाति बेरवा** '' दर्ज किया जावें एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल—दरामद किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर,
मनोहरथाना